(2019) 7 एस०सी०आर० 287

राज्य का पक्ष पुलिस केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के निरीक्षक द्वारा

प्रति

एम० सुब्रमण्यम

(दाण्डिक अपील संख्या- 853/2019) दिनांकित 7 मई, 2019

**[न्यायमूर्तिगण अरूण मिश्रा एवं नवीन सिन्हा]**

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973:-

धारा 482- मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अन्वेषण के अधिकार को अभिलेख पर लाने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 242 के अन्तर्गत आवेदन, आरोप पत्र प्रस्तुत करने के तीन वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया, इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि इसे दाखिल न करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आरोप पत्र आवेदन के निरस्त होने के पाँच साल बाद, धारा 173 (2)(5) (ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एक आवेदन प्राधिकार को अभिलेख पर लेने के लिए प्रस्तुत किया गया- न्यायिक आधार पर निरस्त कर दिया गया- प्राधिकार को अभिलेख पर लेने की माँग करने वाला आवेदन अन्तर्गत धारा 482 दं०प्र०सं० उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया- अपील में, अवधारितः तात्विक न्याय को हमेशा प्रक्रियात्मक या तकनीकि न्याय पर प्रभावी होना चाहिए- प्रक्रियात्मक चूक को कानून के वास्तविक उल्लंघन के बराबर नहीं रखा जा सकता है यह हो सकता है प्राधिकार को अभिलेख पर लाने में विफलता एक प्रक्रियात्मक चूक थी। प्रक्रियात्मक चूक को अस्वीकार करने के परिणाम चूक मूल प्रकृति की थी। न्याय के हित में और कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए उच्च नयायालय को अन्तर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए प्राधिकार आदेश को अभिलेख पर लेने की अनुमति देनी चाहिए थी। अभियोजन को अन्वेषण के लिए प्राधिकार आदेश लाने की अनुमति दी गई है। अभिलेख पर हालांकि, मामले के तथ्यों में, अभियुक्त का पक्ष लेने के लिए, अभिलेख पर प्राधिकार आदेश लाने में जानबूझकर चूक की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, न्यायालय से सम्पर्क करने में विलम्ब का कारण निर्धारित करने के लिए सी०बी०आई० को जाँच करने का निर्देश दिया गया है।

न्यायालय ने निर्देशों के साथ अपील अनुज्ञात करते हुए अवधारित किया-

अभिनिर्धारितः 1. प्राधिकार आदेश की सत्यता और प्रमाणिकता की कोई बात नहीं थी, इसे आरोप पत्र के साथ दाखिल न करना एक चूक थी जो केवल एक प्रक्रियात्मक चूक थी। 11.03.2008 को प्रथम आवेदन निरस्त करने का आदेश, गुणदोष के आधार पर नहीं दिया गया, बल्कि देरी के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफलता के कारण धारा 362 दण्ड प्रक्रिया संहिता के

Translated by Mohd. Zulqarnain Alam, Additional Civil Judge (S.D.)/ A.C.J.M., Court No. 20, Shahjahanpur. J.O. Code- UP2278. This is to certify that the above translation is true and correct as per my knowledge and understanding.

तथ्यों पर कोई प्रासंगिकता नहीं है। इसलिए अपीलकर्ता को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2)(5) (ए) के अन्तर्गत इसे बाद में अभिलेख पर लाने में कोई बाधा नहीं थी। प्रक्रियात्मक चूक को अस्वीकार करने के परिणाम मौलिक प्रकृति के थे। [पैरा 7] [291-डी-एफ]

1.2 प्राधिकार को अभिलेख पर लाने में विफलता, जैसा कि देखा गया प्रक्रिया का मामला था, जो कि न्याय की अनुगामी गण है। वास्तविक न्याय को प्रक्रियात्मक या तकनीकि न्याय पर हमेशा तर्जी दी जानी चाहिए। यह मानना कि किसी प्रक्रियात्मक मामले में देरी की व्याख्या करने में विफलता को पूर्व न्याय के रूप में किया जाएगा, यह न्याय का मखौल होगा, यह देखते हुए कि वर्तमान मामला सार्वजनिक पद के धारक द्वारा सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से सम्बन्धित है। एक आरोपी के अधिकार निःसंदेह महत्वपूर्ण है लेकिन यह निर्धारित करने में विधि का शासन और सामाजिक हित भी महत्वपूर्ण है कि कथित अपराधी के व्यापक सार्वजनिक हित में देश के कानूनों के अधीन किया जाए। किसी आरोपी के अधिकारों को ऊँचे स्थान पर रखना और अपराध की रोकथाम में विधि का शासन और सामाजिक हित को उसके अधीन करना न्याय प्रदान करना नहीं माना जा सकता है। इसलिए एक सन्तुलन बनाना होगा एक प्रक्रियात्मक चूक को विधि के वास्तविक उल्लंघन से उपर नहीं रखा जा सकता है। [पैरा 9] [292-ए-सी]

1.3 उच्च न्यायालय न्याय के हित में और कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा था। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों मे उच्च न्यायालय को धारा 173 (2)(5)(ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता इसलिए अभियोजन पक्ष को अन्वेषण के लिए अधिकार के आदेश को अभिलेख पर लाने की अनुमति दी जाती है। [पैरा 11 व 12] [292-एफ-जी]

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड प्रति भौरा कनकनी कोलिरीस लि० 1984 सपोर्ट एससीसी 597: साक्षी प्रति भारतसंघ (2004) 5 एससीसी 518 (2004) 2 पूरम एससीआर 723 पर विश्वास व्यक्त किया गया।

केन्द्रीय चांच ब्यूरो प्रति आर०एस० पाई एवं अन्य (2002) 5 एससीसी 82 (2002) 2 एससीआर 889 संदर्भित। राज्य का प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक सी०बी०आई० द्वारा किया गया बनाम एम० सुब्रमण्यम

2- आरोप पत्र दि० 5.4.2005 को प्रस्तुत किया गया। इस सबंध मे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि अभियोजन ने प्राधिकार आदेश को लगभग तीन साल बाद 07.01.2008 को अभिलेख पर लेने की मांग मे इतनी ढिलाई क्यों दिखाई। यदि यह पर्याप्त नहीं था तो 11.03.2008 को इसकी अस्वीकृति के बाद अभियोजन पक्ष फिर से चुप रहा जब तक कि उसने 21.06.2013 को धारा 173(2) (5) (ए) द०प्र०सं० के अन्तर्गत नया आवेदन प्रस्तुत नहीं किया, बिना किसी स्पष्टीकरण

Translated by Mohd. Zulqarnain Alam, Additional Civil Judge (S.D.)/ A.C.J.M., Court No. 20, Shahjahanpur. J.O. Code- UP2278. This is to certify that the above translation is true and correct as per my knowledge and understanding.

के। उसके लिए सम्यक प्रशासनिक दृष्टिकोण से मामले पर विचार करने पर, पहली बार में हुई चूक एक अनजाने मे हुई गलती हो सकती है, लेकिन उसी चूक की पुनरावृति गम्भीर संदेह और सवाल उठाती है कि क्या यह अनजाने में था या जानबूझकर किया गया था वर्तमान में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से संबन्धित मामला था। संविधान के प्रति निष्ठा रखने वाले एक लोक सेवक। वर्तमान के मामले मे तथ्यों मे, अभियुक्त का पक्ष लेने के लिए जानबूझकर की गयी एक चूक की संभावना से पूरी तरह इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह निर्देशित किया जाता है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो का एक वरिष्ठ अधिकारी जांच करेगा और यह निर्धारित करेगा कि किन परिस्थितियों में प्रारम्भिक चूक हुई और अदालत का दरवाजा खटखटाने मे देरी का क्या कारण है। जांच मे इसकी अस्वीकृति के बाद और विलंबित लगभग 5 वर्ष का समय भी शामिल होगा केवल 2013 मे प्रयास कर जांच आख्या मे जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और कानून के अनुसार सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ पर्याप्त अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरु और समाप्त की जानी चाहिए। [पैरा 13 व 14] [293-ए-डी]

केस लॉ रेफरेंस (2002) 2 एससीआर 889 पैरा 3 1984 सप्लिमेंट एससीसी 597 को संदर्भित जो पैरा 8 (2004) 2 सप्लिमेंट पर एससीआर 923 पैरा 10 पर निर्भर था।

**दाण्डिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः** दाण्डिक अपीलीय सं० 853/2019

2013 की दाण्डिक याचना सं० 7904 मे तेलंगाना राज्य और आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दि० 06.08.2018 से।

विक्रमजीत बनर्जी, ए०एस०जी०, सुश्री प्रवीना गौतम, सुश्री सीमा बेंगानी, अनस जैदी, अरविन्द कुमार शर्मा- अपिलार्थीगण के अधिवक्तागण।
पी०एस० नरसिम्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता, एम.श्री निवास आर० राव, सरथ एस जनार्दन, के०नरसिम्हा मूर्ति, राहुल टी०, वी०सी० शुक्ला, सुनदूरा वी०एन०एल०, आबिद अली बिरान पी०, प्रतिवादीगण के अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया द्वारा-
न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा, 1. अनुमति प्रदान की गई।

2. पुलिस निरीक्षक केन्द्रीय जाँच ब्यूरो विशाखापत्तनम, दं०प्र०सं० की धारा 482 के अन्तर्गत आवेदन को निरस्त करने में उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.08.2018 से व्यथित है। अभियोजन पक्ष द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (इसके पश्चात 'अधिनियम' के रूप में पढ़ा जाएगा) की धारा 17 के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक केन्द्रीय जाँच ब्यूरो विशाखापत्तनम द्वारा पारित आदेश को अभिलेख पर लाने के लिए श्री वी०के०सी० को अधिकृत किया गया। रेड्डी तत्कालीन पुलिस उपाध्यक्ष केन्द्रीय जाँच ब्यूरो विशाखापत्तनम को प्रतिवादी एक आयकर अधिकारी

Translated by Mohd. Zulqarnain Alam, Additional Civil Judge (S.D.)/ A.C.J.M., Court No. 20, Shahjahanpur. J.O. Code- UP2278. This is to certify that the above translation is true and correct as per my knowledge and understanding.

विशाखापत्तनम के विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार विवेचना करनी थी। आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक चल और अचल सम्पत्ति रखने के आरोप में अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित 13(1)(सी) के अन्तर्गत मामला पंजीकृत किया गया है।

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि असावधानी के कारण अन्वेषण के लिए प्राधिकार का आदेश आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया जा सका। बाद में इसे दं०प्र०सं० की धारा 242 के अन्तर्गत दर्ज कराने की माँग की गई। सी०आर०एल०एम०पी० द्वारा मुकदमा शुरू होने से बहुत पहले 2008 की संख्या 261 आवेदन गुण-दोष के आधार पर नहीं बल्कि इस आधार पर निरस्त किया गया था कि आवेदन में देरी के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। दाण्डिक प्रकीर्ण याचिका संख्या- 560/2013 को अन्तर्गत धारा 173(2)(5)(ए) दं०प्र०सं० प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकार को अभिलेख पर लाने के लिए पूर्व न्याय के सिद्धान्तों को लागू करते हुए निरस्त कर दिया गया भले ही पहले गुण-दोष के आधार पर कोई निर्णय नहीं हुआ था। इसलिए न्याय के हित में यह आवश्यक है कि प्राधिकार को अभिलेख पर लाने की अनुमति दी जानी चाहिए। मामला सिर्फ प्रक्रिया से जुड़ा था, विचारण न्यायालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 362 पर गलत भरोसा किया गया। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो प्रति आर०एस०पाई० और अन्य (2002) 5 एस०सी०सी० 82 पर विश्वास व्यक्त किया गया।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि धारा 242 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत पहला आवेदन निरस्त कर दिये जाने के पश्चात उचित रूप से एक पुनरीक्षण या अपील को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। अस्वीकृति के आदेश को अन्तिम रूप से देने के पश्चात संहिता के किसी अन्य प्रावधान का हवाला देकर उसी उद्देश्य के लिए कोई नया आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। यदि इस प्रक्रम पर इसकी अनुमति दी गई तो प्रतिवादी पर गम्भीर पूर्वाग्रह उत्पन्न होगा, जिससे न्याय की दिशा प्रभावित होगी।

5. हमने पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया और राय दी है कि आगे बताए गए कारणों से अपील स्वीकार की जानी चाहिए।

6. अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 01.11.2002 को प्रतिवादी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० आर०सी० 35(ए)/2002 सी०बी०आई०/ ए०सी०बी०/ वी०एस०पी० (2005 का सीसी 03) पंजीकृत की गई थी। आरोप पत्र दिनांक 05.04.2005 को प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 07.01.2008 को अभियोजन पक्ष की ओर से धारा 242 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। श्री वी०के० रेड्डी को जारी किये गए जाँच के प्राधिकार को अभिलेख पर लाने के लिए। दिनांक 11.03.2008 को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि आरोप पत्र के साथ इसे दाखिल न करने के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके पश्चात दिनांक 21.06.2013 को अभियोजन पक्ष द्वारा संहिता की धारा 173(2)(5)(ए) का इस्तेमाल करते

Translated by Mohd. Zulqarnain Alam, Additional Civil Judge (S.D.)/ A.C.J.M., Court No. 20, Shahjahanpur. J.O. Code- UP2278. This is to certify that the above translation is true and correct as per my knowledge and understanding.

हुए प्राधिकार को फिर से अभिलेख पर लाने की मांग की गई, जिससे आक्षेपित आदेशों को जन्म दिया गया।

7. प्राधिकार आदेश की सत्यता और प्रमाणिकता का मुद्दा न होना इसे आरोप पत्र के साथ दाखिल न करना एक चूक थी जो केवल प्रक्रियात्मक चूक थी। 11.03.2008 को पहले आवेदन को गुण-दोष के आधार पर खारिज नही किया गया बल्कि देरी के लिए संतोष जनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने मे विफलता के कारण धारा 362 दं०प्र०स० के तथ्यों पर कोई प्रांसगिकता नही है। इसलिए हमारी राय है कि अपीलकर्ता को संहिता की धारा 173(2) (5) (ए) द०प्र०सं० के अन्तर्गत बाद मे इसे अभिलेख पर लाने मे कोई बाधा नहीं थी। प्रक्रियात्मक चूक को अस्वीकार करने मे परिणाम मौलिक प्रकृति के थे।

8. बिहार राज्य इलेक्ट्रिक सिटी बोर्ड प्रति भौरा कनकनी कोलिरीज़ लि० 1984 सप्लिमेंट एससीसी 597 मे न्यायालय ने कहा किः
"6. निःसंदेह कुछ लापरवाही हुयी है लेकिन जब किसी महत्वपूर्ण मामले को प्रक्रियात्मक निर्देशों का पालन करने मे विफलता के आधार पर खारिज कर दिया जाता है तो इसमे हमेशा लापरवाही का कुछ तत्व शामिल होता है क्योंकि एक सतर्क वादी प्रक्रियात्मक निर्देशों का पालन करने से नही चूकता सवाल यह है कि क्या लापरवाही की डिग्री इतनी अधिक है कि न्याय मांगने वाले को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड सकता है। दूसरे शब्दों मे क्या न्याय प्रदान करने के लिये तथ्यों की जांच को कुछ प्रक्रियात्मक खामियों के कारण हमेशा के लिए विफल कर दिया जाना चाहिए ?

9. प्राधिकार को अभिलेख पर लाने मे विफलता जैसा कि देखा गया प्रक्रिया का अधिक मामला था, जो कि न्याय की अनुगामी मात्र हो वास्तविक न्याय को हमेशा प्रक्रियात्मक या तकनीकी न्याय पर तरजीह देनी चाहिए। यह मानना कि किसी प्रक्रियात्मक मामले मे विलम्ब की व्याख्या करने मे विफलता को न्यायिक न्याय के रूप मे कार्य किया जायेगा यह न्याय का मखौल होगा, यह देखते हुए कि वर्तमान मामला सार्वजनिक पद के धारक द्वारा सार्वजनिक जीवन मे भ्रष्टाचार से संबंधित है। एक आरोपी के अधिकार निःसंदेह महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सुनिश्चित करने मे विधि का शासन और सामाजिक हित मे देश के कानूनो के अधीन किया जाए। किसी आरोपी के अधिकारों को ऊंचे स्थल पर रखना और अपराध की रोकथाम मे  कानून का शासन और समाजिक हित को उसके अधीन करना न्याय प्रदान करना नही माना जा सकता है। इसलिए एक सन्तुलन बनाना होगा। एक प्रक्रियात्मक चूक को कानून के वास्तविक उल्लंघन के बराबर नही रखा जा सकता है या हो सकता है।

10. साक्षी प्रति भारत संघ (2004) 5 एससीसी 518 में न्यायालय ने कहा कि-

Translated by Mohd. Zulqarnain Alam, Additional Civil Judge (S.D.)/ A.C.J.M., Court No. 20, Shahjahanpur. J.O. Code- UP2278. This is to certify that the above translation is true and correct as per my knowledge and understanding.

“31.... अपराधों को परिभाषित करने और उसके लिए दण्ड प्रदान करने वाले मूल प्रावधानों और ऐसे अपराधों की सुनवायी की प्रक्रिया निर्धारित करने वाले प्रक्रियात्मक अधिनियम के बीच बडा अन्तर है। प्रक्रिया के नियम न्याय की दासी है और आगे बढाने के लिए हैं, न कि आगे बढाने के लिए न्याय के उद्देश्यों में बाधा उत्पन्न करें। इसलिए न्याय के लिए सत्य को उजागर करने और पक्षों के साथ न्याय करने के लिए ऐसे प्रावधानों के अर्थों का विस्तार या बड़ा करना स्वीकार्य है।"

11. उच्च न्यायालय न्याय के हित में और कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए अंतनिर्हित क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा था। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय को धारा 173(2) (5) (ए) द०प्र०सं० जैसा कि आर०एस०पाई (पूर्व) में देखा गया है।

“7. उपरोक्त उपधाराओं से यह स्पष्ट है कि आमतौर पर विवेचनाधिकारी को आरोप पत्र प्रस्तुत करते समय सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। साथ ही चूंकि कोई विशिष्ट निषेध नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है यह माना जाएगा कि अतिरिक्त दस्तावेज बाद में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। यदि रिपोर्ट या आरोप पत्र प्रस्तुत करते समय सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत न करने में कोई गलती हो जाती है, तो जाँच अधिकारी की अनुमति के साथ उसे प्रस्तुत करना हमेशा खुला रहता है। न्यायालय का हमारे विचार में, अभियोजन के प्रारम्भिक चरण और उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें पुलिस अधिकारी को सभी दस्तावेजों या उनके प्रासंगिक उद्धरणों को मजिस्ट्रेट के पास भेजना आवश्यक होता है, जिस पर अभियोजन भरोसा करना चाहता है, शब्द 'करेगा' उपधारा (5) में प्रयुक्त को अनिवार्य के रूप में नहीं, बल्कि निर्देश के रूप में व्याख्या की जा सकती है। आमतौर पर, अन्वेषण के दौरान एकत्र किये गए दस्तावेज, जिन पर अभियोजन पक्ष भरोसा करना चाहता है उन्हें मजिस्ट्रेट को प्रेषित करना आवश्यक है लेकिन अगर कुछ चूक है, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि शेष दस्तावेज बाद में प्रस्तुत नहीं किये जा सकेंगे। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 173(4) के तहत अनुरूप प्रावधान पर नारायण राव प्रति आन्ध्र प्रदेश राज्य मामले में इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया था और यह माना गया कि "करेगा" शब्द धारा 173 की उपधारा (4) में आता है और धारा 207 ए की उपधारा (3) अनिवार्य नहीं है बल्कि केवल निर्देशात्मक है। इसके अलावा धारा 173 की उपधारा (8) यह भी स्पष्ट रूप से स्पष्ट करती है कि आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने के बाद भी यदि आगे की विवेचना की आवश्यकता होती है, तो उसे रोका नहीं जाएगा। यदि आगे की विवेचना को रोका नहीं जाता है तो अभियोजन पक्ष को अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की अनुमति देने का कोई सवाल ही नहीं है जो विवेचना से पहले या बाद में एकत्र किये गये थे। ऐसे मामले में आरोपी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं हो सकता, इसलिए विशेष न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।"

12. इसलिए अपील अनुज्ञात होगी और अभियोजन पक्ष को विवेचना के लिए प्राधिकार के आदेश को अभिलेख पर लाने की अनुमति दी जाएगी, जिसे हम इसके द्वारा आदेश देते है।

Translated by Mohd. Zulqarnain Alam, Additional Civil Judge (S.D.)/ A.C.J.M., Court No. 20, Shahjahanpur. J.O. Code- UP2278. This is to certify that the above translation is true and correct as per my knowledge and understanding.

13. लेकिन यह बात यही समाप्त नहीं होगी, जैसा कि देखा गया, आरोप पत्र दिनांक 05.04.2005 को प्रस्तुत किया गया था। इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि अभियोजन पक्ष ने प्राधिकार आदेश को लगभग तीन साल बाद दिनांक 07.01.2008 को अभिलेख पर लाने की माँग में इतनी ढिलाई क्यों दिखाई। यदि यह पर्याप्त नहीं था, तो दिनांक 11.03.2008 को इसकी अस्वीकृति के बाद अभियोजन पक्ष फिर से चुप रहा जब तक कि उसने दिनांक 21.06.2013 को धारा 173(2)(5)(ए) के अन्तर्गत नया आवेदन प्रस्तुत नहीं किया, बिना किसी स्पष्टीकरण के। उसी के लिए हमें यह देखने में कोई झिझक नहीं है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से मामले पर विचार करने पर, पहली बार में हुई चूक एक अनजाने में हुई गलती हो सकती है, लेकिन उसी चूक की पुनरावृत्ति गम्भीर संदेह पैदा करती है कि क्या यह अनजाने में यह जानबूझकर किया गया था। यह मामला संविधान में प्रति निष्ठा रखते हुए एक लोक सेवक द्वारा सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से सम्बन्धित था। आरोप पत्र 2005 में प्रस्तुत किया गया था। कई वर्षों तक मुकदमे में बहुत ही प्रारम्भिक चरण में सफलतापूर्वक, विफल कर दिया गया है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, किसी आरोपी का पक्ष लेने के लिए जानबूझकर की गई चूक की संभावना से पूरी तरह इन्कार नहीं किया जा सकता है।

14. इसलिए हम निर्देश देते हैं कि केन्द्रीय जाँच ब्यूरो विशाखापत्तनम का एक वरिष्ठ अधिकारी जाँच करेगा और उन परिस्थितियों का निर्धारण करेगा जिनके अन्तर्गत प्रारम्भिक चूक हुई, और न्यायालय से सम्पर्क करने में देरी का कारण। जाँच में इसकी अस्वीकृति के बाद लगभग 05 साल का समय और केवल 2013 में देर से किया गया प्रयास भी शामिल होगा। रिपोर्ट में जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और कानून के अनुसार सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध पर्याप्त अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू और निस्तारित की जानी चाहिए। अनुपालन रिपोर्ट आज से तीन महीने की अवधि के अन्दर जाँच के निष्कर्ष और की गई कार्यवाही के साथ इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

अपील निर्देशों के साथ अनुज्ञात की गई।

Translated by Mohd. Zulqarnain Alam, Additional Civil Judge (S.D.)/ A.C.J.M., Court No. 20, Shahjahanpur. J.O. Code- UP2278. This is to certify that the above translation is true and correct as per my knowledge and understanding.

## <u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित कि या जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पंत्राक संख्या- 14088/ SUVAS Cell/ S.J.O./ Allahabad Dated 30.10.2023 के अनुपालन में उपरोक्त निर्णय का हिन्दी अनुवाद मेरे द्वारा किया गया है।

भवदीय,

(मोहम्मद जुल्करनैन आलम),
**अपर सिविल जज (सी०डि०)/ ए०सी०जे०एम०,**
**न्यायालय संख्या- 20, शाहजहाँपुर।**
**J.O. Code- UP2278**

Translated by Mohd. Zulqarnain Alam, Additional Civil Judge (S.D.)/ A.C.J.M., Court No. 20, Shahjahanpur. J.O. Code- UP2278. This is to certify that the above translation is true and correct as per my knowledge and understanding.